

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

26/8
1979

द0प्र0स0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम0पी0 वाद संख्या-232/2019

प्रथम पक्ष :- 1. उमेश यादव 2. राज मंगल यादव 3. राज कुमार यादव 4. राम प्रवेश यादव
चारों पिता बनवारी यादव सा0 जोशी कॉलोनी, लकडाखन्दा, थाना बी0एस0सिटी,
जिला बोकरो।

-: बनाम :-

द्वितीय पक्ष :- 1. हृदया नन्द चौधरी, पे0 मोहन चौधरी 2. रजनीश चौधरी पे0 हृदयानन्द चौधरी
दोनों सा0 जोशी कॉलोनी, लकडाखन्दा थाना बी0एस0सिटी0, जिला बोकरो।

कार्यवाही

बी0एस0सिटी, थाना अप्राथमिकी संख्या 31/19 जो पुलिस निरीक्षक बी0एस0सिटी0
थाना से अग्रसारीत होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच
आपसी मनमुटाव को लेकर विवाद है, जिससे कभी भी विधि-व्यवस्था भंग होने की आशंका है।
परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने दोनों पक्ष के विरुद्ध द0प्र0स0 की धारा 107 के
अन्तर्गत निषेधाज्ञा कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

अतः उपर्युक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर दोनों पक्ष के विरुद्ध धारा 107
द0प्र0स0 की कार्यवाही प्रारम्भ करता हूँ। साथ ही दोनों पक्ष को यह निदेश देता हूँ कि दिनांक
5/8/19 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण-पृच्छा यदि कोई हो तो
अर्पित करें कि क्यों नहीं एक वर्ष तक शांति बनाये रखने के लिए 5,000.00 (पाँच हजार) रुपये का
बन्ध-पत्र समतुल्य राशि को दो प्रतिभुतियों के साथ अर्पित करने का आदेश दिया जाय।

5/8/19 दिनांक 26/8/19 को सर्वे
A/C II
प्रथम पक्ष के दो सदस्य का हजेरी है
S/C हेतु समय का आवेदन है
द्वितीय पक्ष के दो सदस्य का हजेरी है
S/C हेतु समय का आवेदन है
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

26/8/19 दिनांक 26/8/19 को सर्वे
प्रथम पक्ष के दो सदस्य का हजेरी है
S/C हेतु समय का आवेदन है
द्वितीय पक्ष के दो सदस्य का हजेरी है
S/C हेतु समय का आवेदन है
न्याय क्रम 4 का चारा 115 का आवेदन है
S/C हेतु समय का आवेदन है
115 का आवेदन अर्पित किया जाता है कि निदेश
किया जाता है कि प्रत्येक पक्ष को लक्ष्य उपलब्ध है
Int. 11/01
26/8

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी
तारीख के साथ

②

द्वि पक्ष के एक सदस्य का बाजरी
द्वि पक्ष के लोग सदस्य का
बाजरी है।
दिनांक 15/11/20 को रखी

16/11/20
15/11/20

द्वि पक्ष के लोग का है तथा एक
मा बारा 115 का बाजरी है।
प्रथम पक्ष के लोग सदस्य का
बाजरी है

1st party - member 2 absent.

last wali - quarrel between 2nd party and others
1st party did not help 2nd party

- 1st 2nd party always disturbing by
damaging car and other properties.

no quarrel in the present scenario.

2nd party

- there was tension in the previous wali
- there is no tension in the present
scenario.

Both parties have filed reply to S/C.

There is no cause for tension in the present.

~~immediate~~
case dropped.

S/LH
16/11/20